(386)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/0518

निगरानी /2018

बाबू सिंह फोत बारिस–चिन्तामणि सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी विजपुरी तहसील भिण्ड जिला भिण्ड म.प्र.

............आवेदक

विरूद्ध

1. बीरे पुत्र श्री राममेंहतर फोत वारिस –महेश पुत्र श्री राम मेंहतर
2. बच्चन पुत्र भारत
3. बलराम पुत्र भारत बेडिया समस्त निवासीगण निवासी विजपुरी तहसील भिण्ड जिला भिण्ड म.प्र.

......अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 16-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक ... दिनांक 24-1-18 ... नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत पारित अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के निगरानी क 12/2017–18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के पिता स्व श्री बाबू सिंह के नाम तहसीलदार भिण्ड के प्रकरण क 278/79, 2/8 दिनांक 23.11.1961 को ग्राम विजपुरी तहसील भिण्ड की बंदोवस्त पूर्व की भूमि सर्वे कमाक 581 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा वर्तमान सर्वे कमाक 690/613 का पटटा प्रदान किया गया था जिस पटटे की प्रति अनेक्चर पी–1 संलग्न है। आवेदक के पिता स्व श्री वाबू सिंह द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व के लिये आवेदन पत्र अधिनस्थ न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस का प्रकरण क 2/92–93/237 पर दर्ज हुआ आवेदक के नाम पटटे

386

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/0518

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	